

बिहार सरकार
गृह विभाग (विशेष शाखा)

प्रेषक:

अरविन्द कुमार सिंह
सरकार के विशेष सचिव

सेवा में,

जिला पदाधिकारी
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी

पटना, दिनांक- अप्रैल, २०१६

विषय:-

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वाद संख्या-६१८/४/२०१४/UC दिनांक-२८.०१.२०१६ में पारित आदेश के आलोक में घोड़ासहन (पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी) थाना काण्ड सं०- ५६/२०१४ में तेजाब हमले में पीड़ित चारों पीड़िताओं यथा रेणू देवी, संगीता देवी, रिमझिम कुमारी एवं वर्षा कुमारी को ₹२५,०००/- (पच्चीस हजार) रुपये की दर से अनुग्रह अनुदान/मुआवजा के रूप में भुगतान हेतु कुल ₹१,००,०००/- (एक लाख रुपये) मात्र भुगतान के संबंध में आदेश/राज्यादेश संख्या-५५४९ दिनांक-०९.०६.२०१६ द्वारा स्वीकृत राशि के मुख्य शीर्ष-२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण उप मुख्य शीर्ष-६०-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, लघु शीर्ष-२००-अन्य कार्यक्रम मांग संख्या-२२-उप शीर्ष-००११ मानवता के दृष्टिकोण से राहत, विपत्र कोड-N२२३५६०२००००११ विषय शीर्ष- ३१०२ अनुग्रह अनुदान में वित्तीय वर्ष २०१६-१७ में उपबंधित राशि से कुल ₹१,००,०००/- (एक लाख रुपये) मात्र के आवंटन की स्वीकृति।

आदेश:-

२.

स्वीकृत। राज्य सरकार के निर्णय के आलोक में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विषयांकित वाद में चारों पीड़िताओं यथा रेणू देवी, संगीता देवी, रिमझिम कुमारी एवं वर्षा कुमारी को ₹२५,०००/- (पच्चीस हजार) रुपये की दर से अनुग्रह अनुदान/मुआवजा के रूप में कुल ₹१,००,०००/- (एक लाख रुपये) भुगतान हेतु जिला पदाधिकारी, मोतिहारी को निम्नवत राशि आवंटित की जाती है:-

| वित्तीय वर्ष २०१६-१७ में जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को पूर्व में आवंटित राशि | वित्तीय वर्ष २०१६-१७ में जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को वर्तमान में आवंटित राशि | वित्तीय वर्ष २०१६-१७ में जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को कुल में आवंटित राशि |
|--|--|--|
| ₹१,००,०००/- (एक लाख) | ₹१,००,०००/- (एक लाख) | ₹२,००,०००/- (दो लाख) |

- उक्त आवंटित राशि ₹१,००,०००/- (एक लाख रुपये) मात्र चालू वित्तीय वर्ष २०१६-१७ में मुख्य शीर्ष-२२३५-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-उप-मुख्य शीर्ष-६०-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, लघु शीर्ष-२००-अन्य कार्यक्रम मांग संख्या-२२-उप शीर्ष-००११-मानवता के दृष्टिकोण से राहत विपत्र कोड- N२२३५६०२००००११ के अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
- उक्त राशि विषयांकित चारों पीड़िताओं को मुआवजा के भुगतान हेतु जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को उपलब्ध करायी जा रही है।
जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी कृपया यह भी सुनिश्चित कर लेंगे कि उनके द्वारा मुआवजा की राशि का भुगतान पीड़िताओं की समुचित पहचान कर की गई है।
- उक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी होंगे।
- उक्त राशि के निकासी जिला कोषागार, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी से की जायगी।
- यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-२५६१ दिनांक-१७.०४.१८ के आलोक में निर्गत किया जा रहा है, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी की होगी।

8. जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी विषयांकित चारो पीड़िताओं को उक्त राशि का भुगतान बैंक ड्राफ्ट/चेक के माध्यम से किया जाएगा।
9. जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी का यह दायित्व होगा कि भुगतान की गयी राशि का भुगतान प्रमाण पत्र/प्राप्ति रसीद गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना को यथालीघ्न निश्चित रूप से उपलब्ध करा देंगे।
10. इस राशि का उपयोग जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी द्वारा मात्र चारो पीड़िताओं को अनुग्रह अनुदान/मुआवजा के रूप में भुगतान हेतु किया जाएगा, किसी भी अन्य योजना के कार्य पर विचलन नहीं किया जायेगा।
11. यदि किसी कारणवश जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी द्वारा उक्त राशि का उपयोग नहीं किया जाय तो उस राशि का प्रत्यार्पण वित्तीय वर्ष 2016-17 की समाप्ति के पूर्व गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना को निश्चित रूप से कर दिया जायेगा।
12. इस आवंटनादेश को महालेखाकार, बिहार, पटना को संसूचित किया जा रहा है।
13. इस आवंटन आदेश की प्रति संबंधित कोषागार पदाधिकारी एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(अरविन्द कुमार सिंह)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-.....

पटना, दिनांक-....., 2016

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-.....

पटना, दिनांक-....., 2016

प्रतिलिपि :- प्रमण्डलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी/वित्त विभाग-सह-बजट शाखा, बिहार, पटना को (दो प्रतियों) में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

फैक्स
स्पीड-पोस्ट

ह0/-

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-.....

पटना, दिनांक-....., 2016

प्रतिलिपि :- उप सचिव, प्रशाखा "ए0", गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना को लेखा संधारण हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-...../

पटना, दिनांक , 2016

प्रतिलिपि :- सहायक निबंधक (विधि), राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, मानव अधिकार भवन, ब्लॉक सी0, जी0पी0ओ0 कम्पलेक्स, नई दिल्ली-110023 को उनके पत्रांक/वाद सं0-618/4/8/2014/UC दिनांक-28.01.2016 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

फैक्स
स्पीड-पोस्ट

ह0/-

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-...../

पटना, दिनांक-....., 2016

प्रतिलिपि :- आई0टी0 मैनेजर, गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव

think
10/6

13-6-
13/6/16